में राख वायु मण्डल में मिल कर आस-पास के 25 किलोमीटर परिक्षेत्र में कृषि और जन-स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। वहां पर काम करने वाले हजारों कर्मचारी और उनके परिवार इस समस्या से त्रस्त हैं। इस के कारण पेय जल तथा खाद्य सामग्री में राख मिल जाती है और जन-स्वास्थ्य को क्षति पहुँचाती है।

मध्य प्रदेश के सारनी, कोरवा और अमर कंटक ताप विद्युत गृहों में यह समस्या व्यापक है। सब से ज्यादा प्रभावित सारनी ताप विद्युत गृह में काम करने वाले कर्मचारी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं। इस समस्या के बारे में पूर्व प्रधान मंत्री की सारनी यात्रा के दौरान भी जानकारी दी गयी थी जिन्होंने इस समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया था। किन्तु समस्या ज्यों की त्यों है।

अतएव केन्द्र सरकार जहां पर नये ताप विद्युत गृहों का निर्माण किया जा रहा है तथा जहां ताप विद्युत गृहों से उत्पादन जारी है चिमनियों से निकलने वाली राख और प्रदूषण को रोकने के लिए "ऐश प्रेसिप्रेटर" अथवा अन्य कोई उपाय कर लाखों कर्मचारियों और उनके परिवार के लोगों को और उत्पादन केन्द्र के आसपास के क्षेत्र में बसे नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा का प्रबन्ध करें।

(ii) NEED FOR EXTENSION AND MODERNISATION OF MECHEDA RAILWAY STATION ON S. E. RAILWAY.

SHRI SATYAGOPAL MISRA (Tamluk) : In order to meet its growing importance, the extension of Mecheda station on the Howrah-Kharagpur section of the South-Eastern Railway is necessary. Within the feeder area of the station, there are Haldia Industrial Complex and Kalaghat Thermal Power Project. National Highways Nos. 6 and 41 are at walking distance. State Highways from the different corners of Midnapore district are linked with this station. People coming from Taluk subdivision (about 12 lakhs), Contai subdivision (about 7 lakhs) and Ghatal subdivision (about 3 lakhs) have no alternative but to use the Mecheda Railway station regularly. The existing waiting room is inadequate to accommodate the huge rush of passengers at the station. The rush of passengers will increase after the completion of construction of a bridge at Narghat over the river Haldi.

The Ticket Counters and the small waiting room are situated within the area where the new railway lines are going to be constructed to carry coal to Kolaghat Thermal Power Project. Now the passengers have to face difficulties in purchasing tickets because of the construction work.

The Bus stand has been shifting to a new area and for that, the extension of the over-bridge in the station is necessary. The existing latrine and the lavatory systems in the Station are inadequate, insufficient and unhygienic.

I therefore urge upon the Government to consider the problems of the Mecheda Station and to come forward with measures for the extension and modernisation of the Station.

(iii) STUDY REPORT ON MAN-DAYS LOSSES WAGES, PROFITS AND PRICES BY INDIAN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थान की एक अध्ययन रिपोर्ट ने विवादास्पद हड़ताल विरोधी अध्यादेश के समर्थन में सरकार

(श्री रामवतार शास्त्री)

द्वारा दी जा रही तमाम दलीलों को भ्रामक और गलत साबित कर दिया है। इस अध्ययन रिपोर्ट से यह बात साफ हो गई है कि सरकार व अन्य निहित स्वार्थों के ये दावे कि हड़तालों के कारण औद्योगिक विकास की दर में कमी आती है तथा मजदूरों के वेतन बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ती है सरासर झूठ और बेबुनियाद है।

सुप्रसिद्ध अर्थ-शास्त्री प्रो० कमलनयन काबरा, अनिल इत्यारा और विजय ओझा ने अपने अध्ययन के दौरान काम के दिनों की क्षति, वेतन, मुनाफा और कीमतों का सामूहिक और तुलनात्मक अध्ययन किया है। उनका कहना है कि हड़तालों आदि के कारण काम के दिनों की क्षति का औद्योगिक विकास की दर पर जो कुप्रभाव पड़ता है वह नगण्य है। निवेश, रोजगार, तकनीकी क्षमता तथा अन्य ऐसे अनेक मुद्दे और हैं जिन का औद्योगिक विकास दर पर कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है।

इन विद्वानों ने हड़ताल विरोधी अध्यादेश के आर्थिक पक्ष की ही अधिक समीक्षा की है क्यों कि कहा यही जा रहा है कि यह अध्यादेश सरकार द्वारा उठाये जाने वाले मुद्रास्फीति विरोधी कदमों में से ही एक है। अध्ययन में इस दलील को एकदम बेबुनियाद करार दिया गया है कि मजदूरों का वेतन बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ती है। उक्त विद्वानों ने आंकड़े देकर बतलाया है कि 1970-79 के दौरान मजदूरों का वास्तविक वेतन घटा है, फिर भी मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ी है। उन का यह भी कहना है कि इन वर्षों के दौरान जहां एक ओर मजदूरों का वास्तविक वेतन घटा है वहां मुनाफों, लाभांशों और सूद की दरों में वृद्धि हुई है।

अध्ययन रिपोर्ट में आंकड़े देकर बताया गया है कि 1968-75 के दौरान मजदूरों का वास्तविक औसत वेतन 1384 रुपये प्रति वर्ष से घट कर 984 रुपये प्रति वर्ष रह गया। बाद के वर्षों में भी यही क्रम जारी रहा।

अध्ययन में यह बात भी खास तौर से नोट की गई है कि यदि उत्पादक क्षेत्र में 1970-79 के दौरान कुल अदायगी का विश्लेषण किया जाय तो पता चलेगा कि इस में वेतन के रूप में दिया जाने वाला अंश निरंतर कम हुआ है तथा मुनाफों, लाभांश व सूद के रूप में दिया जाने वाला अंश बढ़ा है।

अध्ययन में इसी दौरान की एक और दिलचस्प बात सामने आई है। वह यह कि, जब कभी भी कुल अदायगी में मजदूरों के वेतन वाला अंश बढ़ा है तो कीमतें नहीं बढ़ी हैं। इसके विपरीत मुनाफे या लाभांशों में वृद्धि होने का सीधा प्रभाव थोक मूल्यों के सूचकांक पर वृद्धि के रूप में दिखायी दे जाता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि, वेतन कम होने से आम उपभोक्ता वस्तुओं की मांग घटती है जिससे क्षमता के उपयोग में कमी आती है, उत्पादन कम होता है तथा कीमतें बढ़ जाती है।

अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि, यदि मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण करना है तो मजदूरों के वेतन और उनके अधिकारों पर चोट करने वाली नीतियां कारगर साबित नहीं होंगी, इसके लिए तो वही नीतियां कारगर साबित हो सकेंगी जिन्हें बनाते समय बढ़ते मुनाफों और लाभांशों को ध्यान में रखा गया हो।